न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०–05/2026

अमीशा––––बनाम––––चन्दन लारी

दिनांक–17–03–2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० पर सुनवाई हेतु पेश हुई। परन्तु विपक्षी जो कि राजकीय सेवक है, के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का०सं०-14 ख/3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी स्वयं अनुसूचित जाति का सदस्य है व जबकि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार से निवारण अधिनियम किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के विरूद्ध लागू नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार से निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू न होने के कारण जबकि आवेदिका की ओर से भी यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि विपक्षी के अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अतः कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद को सम्बन्धित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अन्तरण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण की नियमानुसार सुनवाई की जा सके। वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 25.03.2026 को पेश हो।

दिनॉकः–17–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.17 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court